SKU शोध संचार

(INTERNATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)

अंक-3, खण्ड-1, जनवरी - मार्च 2025 E-ISSN : 2584-2900

आरक्षण एवं संविधान : एक समग्रवलोकन

विजय कुमार

सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान)

श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

शोध सार

"आरक्षण समानता की अवधारणा के विरुद्ध है पर समाज में समानता स्थापित और कारगर करने के लिए ही वह हमेशा अनेक रूपों में अनिवार्य है"[1] भारतीय संविधान के खंड 3 में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। इस खंड का एक महत्वपूर्ण भाग अनुच्छेद 15 है। जो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध करता है नकारात्मक प्रकृति का यह मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को प्राप्त है ध्यान रहे अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष समानता के अधिकार की व्याख्या करता है का लाभ नागरिकों तथा नागरिकों को समान रूप से प्राप्त है जबकि अनुच्छेद 15 का लाभ मात्र नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15 का खंड 4 (प्रथम संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित) राज्य को सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए अथवा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार देता है इसी प्रकार अनुच्छेद 15 (3) राज्य को स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में सभी नागरिकों को अवसर की समानता का अधिकार देता है साथ ही राज्य को किसी वर्ग विशेष की उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार देता है। हमारे देश में स्त्रियों, बच्चों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा आर्थिक अथवा सामाजिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों के लिए बनाए गए संविधान उपबंध संविधान के अनुच्छेद 15 एवं 16 में दिए गए अपवाद के अंतर्गत प्रसारित होते हैं।

बीज शब्द

आरक्षण, संविधान, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, जातियां, नागरिकता।

शोध विस्तार

"आरक्षण की अवधारणा सामाजिक न्याय वितरण मूलक न्याय एवं सामाजिक कल्याण पर बल देकर समानता एवं स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर एक स्वस्थ एवं जीवंत लोकतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करती है।"[2]

स्त्रियों तथा बच्चों के लिए विशेष उपबंध

संविधान के अनुच्छेद 15(3) में की गई व्यवस्था के आधार पर सरकार द्वारा स्त्रियों तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। स्त्रियों तथा बच्चों की सुकोमलता तथा उनकी प्रकृति अथवा विशेषताओं को देखते हुए उन्हें समाज के अनेक क्षेत्रों में संरक्षण प्राप्त है। संविधान में यह व्यवस्था भारत में स्त्रियों की दयनीय स्थिति को देखते हुए की गई है। देश में विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा इसके लिए विधियों का निर्माण किया गया है। शिक्षा संस्थानों में प्रवेश इत्यादि के मामलों में स्त्रियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था है इसी प्रकार ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों तथा नगर निकायों के चुनाव में स्त्रियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था है।

विधायिका में पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण

संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 332 की विधानसभा में इन जातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। राज्य विधान मंडलों में इन जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या का निर्धारण राज्य को आवंटित स्थान तथा जातियों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है वर्तमान समय में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 79 तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 40 स्थान का आरक्षण है।

संविधान निर्माता ने संविधान के अनुच्छेद 334 में विधायिका में इन जातियों को दिए जाने वाले आरक्षण की अवधि का निर्धारण भी कर दिया था। अनुच्छेद 334 में मूल पाठ में इस

प्रावधान को संविधान लागू होने के बाद 10 वर्ष तक बनाए रखने का व्यवस्था की गई थी बाद में संसद द्वारा इस 10-10 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता रहा। 1999 के शीतकालीन सत्र में 79 वें संविधान संशोधन द्वारा इस व्यवस्था को पुनः 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया। 25 जनवरी 2000 से प्रभावित यह व्यवस्था अब 24/01/2010 तक लागू रहेगी। आरक्षण अब एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है अर्थात सत्ता में बने रहना है या सत्ता को पाना है दोनों के लिए आरक्षण पर मौन रहना ही सभी राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य जैसे हो गया है।

"103वें संशोधन अधिनियम, 2019 के तहत, राज्य सरकारें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान लाई, जो कानूनी मान्यता के बाद आज लागू भी हो गया॥"[3]

लोक सेवा में पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 16(4)के अनुसार राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है ,नियुक्तियां या पदों के आरक्षण के लिए विशेष उपबंध बना सकेगा। संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य द्वारा नागरिकों में किसी वर्ग विशेष को आरक्षण तब प्रदान किया जाएगा जब निम्नलिखित दो शर्तें पूरी होती हो

(क) नागरिकों का उक्त वर्ग सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हो।

(ख) राज्य की सेवाओं में उक्त वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो।

इससे स्पष्ट होता है कि हमारे संविधान निर्माता के दिमाग में सामाजिक समानता की भावना विद्यमान थी। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में इस भावना का स्पष्ट अवलोकन किया जा सकता है। वास्तव में संविधान निर्माण के काल में देश में आर्थिक, शैक्षिक एवं वर्ग संबंधी असमानताएं विद्यमान थी और इसी के कारण देश के विभाजन की मांग भी की जा रही थी अतः इसके दूरगामी प्रभावों का पूर्वानुमान करते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने पिछड़े हुए वर्गों को समान स्तर तक लाने हेतु राज्य को अतिरिक्त शक्ति प्रदान किया।

ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो आरक्षण की भूमिका की शुरुआत 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के साथ हुई थी॥ 1932 में कम्युनल अवार्ड लागू हुआ जिसका मुख्य उद्देश्य दलितों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना था। 1935 में लागू भारतीय शासन अधिनियम में कतिपय

विशेष वर्गों के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों को शासन में प्रतिनिधित्व देना था। भारतीय शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित भारतीय संविधान में डॉ भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से पिछड़ों तथा दलितों के उन्नयन हेतु विशेष प्रावधान किए गए। संविधान के इस अनुच्छेद पर पहली बार विवाद तब हुआ जब मद्रास राज्य ने 1950 में राज्य के मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में विभिन्न जातियों के विद्यार्थियों को आरक्षण देने हेतु राजाज्ञा जारी की। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दुरईराजन के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को संविधान के अनुच्छेद 15 के विपरीत घोषित करते हुए अमान्य कर दिया। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति को दूर करने के लिए 1951 में प्रथम संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 15 (4) को जोड़ा गया जिसके अनुसार राज्यों को एक अधिकार दिया गया कि वह सामाजिक और शैक्षणिक जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। इस प्रावधान के बाद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई। अनेक राजनीतिज्ञ द्वारा पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की बात कही गई। 20 दिसंबर 1978 को बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक अन्य आयोग का गठन पिछड़ी जातियों की पहचान सुनिश्चित करने हेतु किया गया। इस आयोग द्वारा 1980 में 404 पृष्ठ की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी गई। इस रिपोर्ट में हिंदू एवं गैर हिंदू समुदाय की 3473 जातियों को पिछड़ी जाति में रखने हुए इनके लिए 27% आरक्षण की संस्तुति दी गई थी। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर कुछ तर्क ऐसे भी आए जिसमें 50 % मांग की गई लेकिन 13 अगस्त 1990 को कार्यपालिका आदेश द्वारा पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की घोषणा पूरे देश में कर दी गई और इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया।

आरक्षण की सीमा

1963 में सर्वोच्च न्यायालय में यह प्रतिस्थापित किया था कि 1 वर्ष में 50% से अधिक स्थानों को पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित किया जाना अनुच्छेद 16 (4) के विरुद्ध होगा। न्यायालय ने कहा था कि पिछड़ी जातियों के विकास के लिए अन्य नागरिकों की अपेक्षा नहीं की जा

सकती मंडल आयोग ने भी अपने रिपोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा था कि वह 50% की सीमा के कारण इन जातियों के लिए और आरक्षण की सिफारिश नहीं कर रहा है। उल्लेखनीय है कि मंडल आयोग की रिपोर्ट के समय अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए 22 प्रतिशत आरक्षण लागू था आयोग ने 27 प्रतिशत और आरक्षण करके इसे 49% कर दिया था वर्तमान समय में आरक्षण की सीमा 50% के अधीन है। आरक्षण की अवधारणा सामाजिक न्याय एवं सामाजिक कल्याण पर बल देती है तथा मजबूत लोकतंत्र का पथ प्रशस्त करती है । जब कोई राज्य ऐसा महसूस करता है कि समाज में स्वतंत्रता, समानता की स्थिति असंतुलित हो रही है एवं सामाजिक न्याय के लक्ष्य को पाने में अनेक समस्याएं आ रही है, ऐसे में सामाजिक न्याय को प्रभावी बनाने हेतु आरक्षण नीति बनाई जाती है। ताकि निर्बल वर्ग एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी संरक्षण मूलक संवैधानिक प्रावधान किए जाते हैं तथा इस निमित्त सरकारी प्रतिष्ठानों शिक्षण संस्थानों लोकसभा एवं प्रांतीय विधानसभाओं तथा नौकरियों में आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है। अतः आरक्षण समाज में उपलब्ध अवसरों को किसी ऐसे वर्ग विशेष के लिए उपलब्ध कराना या अवसरों के लिए निर्धारित मानक के माध्यम से किसी विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाना ही आरक्षण है। आरक्षण के इस दूसरे पक्ष में विभिन्न तर्क दिए जाते हैं तो वहीं विरोध के ठोस कारण भी बताए जाते हैं। विरोधी विचारधारा वाले मानते हैं कि आरक्षण के कारण योग्यता धारी व्यक्ति अपनी गुणवत्ता एवं कौशल की अनदेखी होते देख दुखी होता है जिसका प्रभाव समाज में भी पड़ता है जो संघर्ष के रूप में, तनाव के रूप में, भेदभाव के रूप में देखने को मिल जाता है। आरक्षण की वजह से प्रतिभाशाली असहाय हो जाते हैं तो वहीं अयोग्य लोगों को विभिन्न महत्वपूर्ण पद दे दिए जाते हैं इन्हीं कारणों से योग्यता का पलायन बढ़ता जाता है आरक्षण विरोधियों की ठोस दलील यह है कि जहां पर जातियों के उन्मूलन की हम बात करते हैं वहीं आरक्षण के कारण जाति प्रथा की जड़े और मजबूत हो रही हैं, आपसी सौहार्द भाईचारा खत्म हो रहा है। आरक्षण विरोधियों का मानना है कि आरक्षण एक उपचार के तौर पर निश्चित समय के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन यह यक्ष प्रश्न है कि आखिर यह उपचार कब तक बना रहेगा।

"आरक्षण विरोधियों या बुद्धिजीवियों का मानना है कि आरक्षण राजनीतिक लाभ पाने के उद्देश्य नहीं किया जाना चाहिए और न ही इसका लाभ वर्ग और किसी समुदाय के व्यक्ति को मिलना चाहिए बल्कि इसका लाभ जरूरतमंदों को ही प्राप्त होना चाहिए।"[4]

निष्कर्ष

हमें आरक्षण को और अधिक महत्त्वपूर्ण एवं तटस्थ होकर देखने की ज़रूरत है, जहाँ इसने कई वर्गों को लाभान्वित किया है, वहीं यह एक सीमित रियायत भी है जो हाशिये पर खड़े लोगों को सामाजिक और आर्थिक असमानता से मुक्त कर मुख्यधारा में शामिल करने का प्रयास करता है। शिक्षा, रोज़गार या सामाजिक स्थिति के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय अभी भी अन्य समुदायों की तुलना में काफी पीछे हैं। इस प्रकार, यह बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि इस समस्या को समग्र रूप से संबोधित किया जाए, न कि किसी एक वर्ग विशेष के संदर्भ में इस परिभाषा को सीमित करने का प्रयास किया जाए।

संदर्भ सूची

1. अनिल अग्रवाल परीक्षा मंथन आरक्षण की अवधारणा (2018-19) पृष्ठ 58
2. अनिल अग्रवाल परीक्षा मंथन आरक्षण की अवधारणा (2018-19) पृष्ठ 58
3. हिंदुस्तान समाचार पत्र 7 नवंबर 2022
4. Drashtiias.com 30 july 2018